फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम नीमकाथाना

त्रिलोक दीवान आदि बनाम कबूल कंवर आदि

किस्म मुकदमा दावा मुकदमा नं. 154 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11.2.2021	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्षों का सुना गया। वकील वादीगण का कथन है कि हमारा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.12.2020 अनुसार तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा वादीगण के हिस्से का विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी कर दिया जावें। वकील प्रतिवादी सं. 12 व 15 ने भी विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया। वकुलाय उभय पक्षों को सुनने व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने के पश्चात दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक 296 / भू.अ. / 21 दिनांक 19.01.2021 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावे। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। पत्रावली [illegible] [illegible] होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.02.2021 को [illegible] न्यायालय में [illegible] वकुलाय उभय पक्ष सुनाया गया। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Brajesh Kumar
Date: 2021.02.25 12:28:48 IST
Reason: SelfAttested